भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गप्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवंराजमार्गमंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
परियोजनाकार्यान्वयनइकाई, जोधपुर
Project Implementation Unit, Jodhpur

PIU Jodhpur Office
188, UMAID HERITAGE
Ratanada,
Jodhpur– 342011(Rajasthan)
Tel:- 0291-2510065
FAX No.:- 0291-2511165
E-Mail:-jodhpur@nhai.org

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर

No. 20002/1/2019/BM/Lot-4/PKG-6/EC/ 311

Date: 06.02.2019

To

The Director, IA-III (Infra-I)
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Indira PariyavaranBhawan,
JorBai Marg, New Delhi – 110 003

Sub.: Preparation of DPR for Development of Economic Corridors, Inter Corridors and Feeder Routes to improve the efficiency of freight movement in India Under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Package-6: **Submission of Final EIA/EMP Report –reg.**

Sir

Please find enclosed herewith the final EIA/EMP report for construction of 4/6 lane road from Rasisar (Bikaner) to Deogarh (Jodhpur) from Km 0.000 to Km 180.000 in the state of Rajasthan, part of Amritsar to Kandla Expressway under Bharatmala Pariyojna.

For above report additional TOR has been issued on 04/01/2019 & as per TOR *(File No. 10-63/2018-IA.III)* public hearing has been conducted and minutes of public hearing held at Bikaner & Sirmandi has been attached with report.

Thanking you.

Yours faithfully,

(S.K. Mishra)
Project Director

Encl:- As above

Copy to:-

1. M/s Pentacle Consultant Pvt. Ltd. in association with Jhunjhunu Engineers Pvt. Ltd. Jodhpur for follow up.

क्षेत्रीय कार्यालय
फोन न0 2723225
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
एसपीएल–2 मरूधर इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी प्रथम जोधपुर

क्रमांकः–राप्रनिम / जनसुनवाई / 18–19 / 1896
दिनांकः 1/2/19

सदस्य सचिव,
रा0 प्र0 नि0 म0
जयपुर।

प्र.अ.(तक) II

प्राप्ति क्र. 515
दिनांक 2.2.19

विषयः– मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर द्वारा भारतमाला परियोजना (पेकैज–6 / लोट–4) के तहत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754k के रासिसर (जिला बीकानेर) से देवगढ (जिला जोधपुर) खण्ड के किमी 0.00 से किमी 149.100 तक छः / चार लेन मय पेव्ड शॉल्डर कार्य हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई दिनांक 29 / 01 / 2019 के कार्यवृत विवरण(Meeing Minutes) भिजवाने के क्रम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर द्वारा भारतमाला परियोजना (पेकैज–6 / लोट–4) के तहत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754k के रासिसर (जिला बीकानेर) से देवगढ (जिला जोधपुर) खण्ड के किमी 0.00 से किमी 149.100 तक छः / चार लेन मय पेव्ड शॉल्डर कार्य हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई दिनांक 29 / 01 / 2019 के कार्यवृत विवरण(Meeting Minutes), सीडी की दो प्रति, फोटोग्राफ, पेपर कटींग एवं जन सुनवाई में भाग लेने वालों की सूची दो प्रतियों में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Sd/-

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
2. मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर

[signature]

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
फोन न0 2723225
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
एसपीएल–2 मरूधर इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी प्रथम जोधपुर

जन सुनवाई कार्यवाही विवरण दिनांक 29.01.2019
मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय रा0 प्र0 नि0 म0 जोधपुर द्वारा जन सुनवाई के लिये सूचना प्रादेशिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं द टाइम्स ऑफ इंडिया में दिनांक 22.12.2018 को प्रकाशित की गई थी। मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर द्वारा भारतमाला परियोजना (पेकैज–6/लोट–4) के तहत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754k के रासिसर (जिला बीकानेर) से देवगढ (जिला जोधपुर) खण्ड के किमी 0.00 से किमी 149.100 तक छः/चार लेन मय पेव्ड शॉल्डर कार्य हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई दिनांक 29.01.2019 निर्धारित की गयी।

जन सुनवाई श्री राजेन्द्र सिंह अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट फलोदी जो कि जिला कलेक्टर जोधपुर के प्रतिनिधि के तौर पर एवं श्री जगदीश सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर के द्वारा आयोजित की गई। जन सुनवाई के उक्त अधिकारियों के अतिरिक्त श्री रतनलाल रेगर, उपखण्ड अधिकारी ओसिया एवं श्री सुखाराम पिण्डेल, उपखण्ड अधिकारी बाप एवं श्री प्रवीन्द्र गहलोत मैनेजर, NHAI उपस्थित थे। जन सुनवाई नामित एवं उपस्थित अधिकारीगण का उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है। (संलग्नक–1) क्षेत्र के ग्रामवासियों एवं अन्य की उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है। (संलग्नक–2) जनसुनवाई के लिए आस पास के क्षेत्र में सूचना प्रकाशित होने की तिथि से जन सुनवाई दिनांक 29/01/2019 तक कोई लिखित सुझाव/आक्षेप क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जोधपुर को प्राप्त नही हुए है।

दिनांक 29/01/2019 को मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर द्वारा भारतमाला परियोजना (पेकैज–6/लोट–4) के तहत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754k के रासिसर (जिला बीकानेर) से देवगढ (जिला जोधपुर) खण्ड के किमी 0.00 से किमी 149.100 तक छः/चार लेन मय पेव्ड शॉल्डर कार्य के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जन सुनवाई की बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे–

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
जोधपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
फलोदी

1. **श्री राजेन्द्र सिंह**
   अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट फलोदी
2. **श्री जगदीश सिंह**
   क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर
3. **श्री रतनलाल रेगर,**
   उपखण्ड अधिकारी, ओसिया जिला–जोधपुर
4. **श्री सुखाराम पिण्डेल,**
   उपखण्ड अधिकारी बाप जिला जोधपुर
5. **श्री प्रवीन्द्र गहलोत**
   मैनेजर NHAI जोधपुर।

जन सुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी **श्री जगदीश सिंह** ने सभी आगंतुको का स्वागत किया एवं जन सुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य, महत्व तथा परियोजना के बारे में जानकारी दी। परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरण सलाहकार संस्था **मै0 पेंटाकल कंसल्टेंट (आई) प्रा0 लिमिटेड एवं झुझूंनू इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर** के संयुक्त प्रतिनिधि **श्री महावीर प्रसाद सैनी** को आमंत्रित किया। **श्री महावीर प्रसाद सैनी** ने परियोजना के बारे में उपस्थित जन समुदाय को विस्तृत जानकारी दी।

तत्पश्चात् **श्री जगदीश सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर** ने जन सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर द्वारा भारतमाला परियोजना (पेकैज–6/लोट–4) के तहत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754k के रासिसर (जिला बीकानेर) से देवगढ (जिला जोधपुर) खण्ड के किमी 0.00 से किमी 149.100 तक छः/चार लेन मय पेव्ड शॉल्डर कार्य के लिये आयोजित जन सुनवाई में आपतियां व सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया।

जिसके अंतर्गत निम्नलिखित ने विचार/आपति/सुझाव प्रस्तुत किये–

श्री अशोक विश्नोई– गांव सिरमण्डी

उक्त परियोजना अन्तर्गत होने वाले कार्य के कारण सैकडों की संख्या में वृक्षों की कटाई की जावेगी। क्षेत्र रेगिस्तानी होने के कारण वृक्षों के पनपने की दर काफी कम रहती है कटाई के पश्चात् पुनः लगाये जाने वाले वृक्षों हेतु सरकार या सम्बन्धित इकाई द्वारा किये जाने वाले प्रयासों की जानकारी चाही।

पर्यावरण सलाहकार संस्था **मै0 पेंटाकल कंसल्टेंट (आई) प्रा0 लिमिटेड एवं झुझूंनू इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर** के प्रतिनिधि **श्री महावीर प्रसाद सैनी** ने इस पर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
जोधपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
फलोदी

आश्वस्त किया कि परियोजना के कार्य अन्तर्गत 1 वृक्ष के काटे जाने पर उसके स्थान पर 3 वृक्ष लगाने का प्रावधान पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना में किया गया है अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री राजेन्द्रसिंह चारण ने निर्देश दिये कि टीनेन्सी एक्ट के अनुसार एक पेड काटे जाने के स्थान पर 10 पेड लगाये जाने का प्रावधान है। अतः इसकी पालना की जाये और ऐसे ही वृक्ष/पौधें लगाये जायेगे जिनके जीवित पनपने की दर अधिकतम होती है।

अशोक विश्नोई द्वारा परियोजना के कारण गांव के समीप स्थापित होने वाले सहायक प्लान्ट (क्रेशर प्लान्ट/हॉट मिक्स प्लान्ट) के कारण धूल कणों के स्वास्थ्य पर पडने वाले विपरित प्रभाव की रोकथाम हेतु किये जाने वाले प्रयासों की जानकारी चाही।

पर्यावरण सलाहकार प्रतिनिधि द्वारा इस पर समस्त ग्रामवासियों को यह आश्वस्त किया गया कि परियोजना अन्तर्गत लगने वाले सहायक प्लान्ट (क्रेशर प्लान्ट/हॉट मिक्स प्लान्ट) गांव की सीमा से लगभग 1 किलोमीटर दूर गैर रहवासीय क्षेत्र में स्थापित किये जावेगे जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का विपरित प्रभाव नही पडे। साथ ही पर्यावरण संरक्षण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु जरूरी उपकरण प्लान्ट के साथ लगाये जावेगे। प्रत्येक तीन मीटर की दूरी पर वृक्षारोपण किया जावेगा।

श्री जोगाराम मेघवाल – गांव सिरमण्डी

उक्त परियोजना के अन्तर्गत कृषकों/कास्तकारों की खातेदारी भूमि, मकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान का सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिये जाने पर इनके पुनर्वास हेतु प्रयासों की जानकारी देने हेतु निवेदन किया।

इसी बीच **श्री जगदीश सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान** राज्य **प्रदूषण नियंत्रण** मण्डल, **जोधपुर** यह बताया कि चूंकि उक्त जनसुनवाई केवल पर्यावरण पर पडने वाले प्रभाव के लिये सुझाव एवं आपत्ति हेतु आयोजित की गई है तथापि आपत्ति का प्रत्युत्तर देते हुये क्षेत्रीय अधिकारी से अवगत करवाया कि खातेदारी भूमि, मकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान का सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने पर भारत सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में तय मापदण्ड अनुसार सरकार द्वारा मुआवजा एवं अन्य सुविधाऐं प्रदान की जावेगी।

शिशुपाल विश्नोई– गांव सिरमण्डी

परियोजना के कारण बढने वाले यातायात से वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु सरकार की ओर से किये जाने वाले प्रयासों की जानकारी चाही गई। मै0 पेंटाकल कंसल्टेंट (आई) प्रा0 लिमिटेड एवं झुझूंनू इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर के प्रतिनिधि श्री महावीर प्रसाद सैनी ने यह बताया कि बनने वाली रोड की ऊंचाई धरातल से 2 से 5 मीटर की ऊंचाई पर होगी। राजमार्ग के किसी आबादी गांव से गुजरने पर रोड के साथ फेन्सिंग का कार्य भी किया जावेगा जिससे कि वन्य/पालतू जीवों के राजमार्ग को पार करने की सम्भावना नही के बराबर रहेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
फलोदी

रामूराम–पंचायत समिति सदस्य ओसियां

- परियोजना अन्तर्गत बनने वाले राजमार्ग के कारण गांव के मन्दिर एवं ग्रामवासियों की रहवासीय स्थल की दिशा आपस में विपरित होने पर आवागमन समस्या के समाधान की जानकारी चाही। पर्यावरण सलाहकार प्रतिनिधि द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि आवश्यकतानुसार राजमार्ग पर एसवीपी की सुविधा दी गई जिससे स्थानीय निवासियों को आवागमन में किसी प्रकार की रूकावट उत्पन्न न हो।

तत्पश्चात् **श्री राजेन्द्र सिंह, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट फलोदी एवं श्री रतनलाल रेगर उपखण्ड अधिकारी, ओसियां** ने यह आश्वस्त किया कि सभी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जायेगा तथा गांव, गोचर व सरकारी भूमि पर नियमानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा पर्यावरणीय प्रदूषण बिल्कुल नही होने दिया जावेगा। आधुनिक तकनीक द्वारा प्रदूषण को नियंत्रण किया जायेगा। इससे आस–पास के ग्रामीणवासियों पर प्रदूषण का दुष्प्रभाव नही होगा।

अन्त में **श्री जगदीश सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर** ने उपस्थित जन समुदाय जनसुनवाई में उपस्थित होने एवं अपने विचार रखे जाने पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जन सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
फलोदी

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर ने भरतमाला परियोजना (पेकैज–6/लोट–4) के तहत 4/6 लेन अभिगम नियंत्रण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754K के रासीसर (जिला बीकानेर) से देवगढ. (जिला जोधपुर) खण्ड के किमी 00.00 से 179.100 तक छः/चार लेन मय पेव्ड शॉल्डर कार्य हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आयोजित जन सुनवाई की बैठक।

स्थान : राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सिरमण्डी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

दिनांक : 29/01/2019

समय : प्रातः 11 बजे

क्र. सं.	नाम	पद एवं विभाग	हस्ताक्षर
1.	राजेन्द्र सिंह	ADM फलोदी	[signature]
2.	जगदीश सिंह	क्षेत्रीय अधिकारी राज्य प्रदूषण नि. मण्डल जोधपुर	[signature]
3	रतन लाल रेगर	S.D.M ओसियां	[signature]
4.	[illegible]	मैनेजर, जोधपुर	[signature]
5.	सुखाराम पिण्डेल	एस.डी.एम. बाप	[signature]

संलग्नक-1

जन सुनवाई में उपस्थित विभागों के पदाधिकारी, ग्रामवासी / जन प्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर ने भरतमाला परियोजना (पेकैज–6 / लोट–4) के तहत 4 / 6 लेन अभिगम नियंत्रण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754K के रासीसर (जिला बीकानेर) से देवगढ. (जिला जोधपुर) खण्ड के किमी 00.00 से 179.100 तक छः / चार लेन मय पेव्ड शॉल्डर कार्य हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आयोजित जन सुनवाई की बैठक।

स्थान : राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सिरमण्डी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

दिनांक : 29 / 01 / 2019

समय : प्रातः 11 बजे

क्र. सं.	नाम	पद एवं विभाग / ग्राम / रहवासीय स्थान का पता	हस्ताक्षर
1.	पुखाराम	सिरमंण्डी	[signature]
2.	चैनाराम	श्रीरामनगर	[signature]
3.	बीरबलराम	सिरमंण्डी	बिरबलराम
04	तेजाराम	सिरमण्डी	तेजाराम
05	रामस्वरूप	सिरमण्डी	[signature]
6	जोगाराम	सिरमण्डी	जोगाराम
7.	ओमप्रकाश	सिरमण्डी	ओमप्रकाश
8	पप्पूराम	सिरमण्डी	[signature]
9	मगाराम	ओकरको	मगाराम
10	कैलाश	सिरमण्डी	कैलाश
11	खियाराम	ग्रामवासी सिरमण्डी	

जन सुनवाई में उपस्थित विभागों के पदाधिकारी, ग्रामवासी/जन प्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र

क्र. सं.	नाम	पद एवं विभाग/ग्राम/ रहवासीय स्थान का पता	हस्ताक्षर
12	सांवलराम	सिरमण्डी	सांवराम
13	भंवरलाल	भू.प. निरीक्षक ओसियां	[illegible]
14	ANAND PAL	[illegible]	ANAND [illegible]
15	रिडमल राम	सिरमण्डी	
16	जोगाराम मेघवाल	सिरमण्डी	[illegible]
17	किशनाराम मेघवाल	सिरमण्डी	किशनाराम मेघवाल
18	पदमा राम	सिरमण्डी	पदमाराम
19	रेंवतराम	सिरमण्डी	रेंवतराम
20	भींयाराम मेघवाल	सिरमण्डी	भींयाराम मेघवाल
21.	धनाराम मेघवाल	सिरमण्डी	धनाराम
22	त्रिलोकचन्द	ओसियां	[illegible]
23	सुमेरसिंह	जोड़	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	राकेश कुमार	खाबड़ा कलां	[illegible]
26	दिनेश राव	खाबड़ा कलां	दिनेश राव
27	हिम्मताराम	खाबड़ा कलां	हिम्मताराम

M/s. NHAI Package 6, Lot 4, PH on 29/01/2019 at 11:00 PM

जन सुनवाई में उपस्थित विभागों के पदाधिकारी, ग्रामवासी / जन प्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र

क्र. सं.	नाम	पद एवं विभाग / ग्राम / रहवासीय स्थान का पता	हस्ताक्षर
28	उगमराम	खावड़ा कल्ला	[signature]
29	लक्षीलाल	खावड़ा कल्ला	[signature]
30	रमेश	खावड़ा कल्ला	[signature]
31	चम्पालाल	खावड़ा कल्ला	[signature]
32	बाबूलाल	भीमड़ी	[thumb impression]
33	गोमदराम	रामनगर	[thumb impression]
34	(ई) उगमाराम	सिरमण्डी	(ई) उगमाराम
35	सोनाराम	श्री रामनगर खावड़ा खुर्द	सोनाराम
36	माडूराम	सिरमण्डी	माडूराम
37	मदनलाल	सिरमण्डी	मदनलाल
38	टीकूराम	सिरमण्डी	टीकूराम
39	जगदीश	सिरमण्डी	जगदीश
40	चैनाराम	सिरमण्डी	चैनाराम
41	भजनाराम	सिरमण्डी	भजनाराम
42	गणेश	भीकमकोर	गणेश
43	सोहनसिंह	भीकमकोर	सोहनसिंह

जन सुनवाई में उपस्थित विभागों के पदाधिकारी, ग्रामवासी / जन प्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र

क्र. सं.	नाम	पद एवं विभाग / ग्राम / रहवासीय स्थान का पता	हस्ताक्षर
44	राजुराम	सिरमण्डी	राजुराम
45	भंवर लाल	सिरमण्डी	भवरलाल
46	जगदीश	श्रीकोटी	जगदीश
47	राणाराम	श्री खावड़ा कल्ला	राणाराम
48	भवरलाल	श्री राजनगर	[signature]
49	लूणाराम	भीनमकोट	
50	सोमसिंह	भीनमकोट	सोमसिंह
51	रामीलाल	भीनमकोट	रामीलाल
52	कानाराम	श्रीकोटी	कानाराम
53	सीताराम	भीनमकोट	सीताराम
54	कानपुरी	भीनमकोट	कानपुरी
55	गुलाबसिंह	भीनमकोट	गुलाबसिंह
56	किशनपुरी	भीनमकोट	किशनपुरी
57	राजूसिंह	भीनमकोट	
58	मगाराम	भीनमकोट	मगाराम
59	दरप-दराज	श्रीमण्डी	

जन सुनवाई में उपस्थित विभागों के पदाधिकारी, ग्रामवासी / जन प्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र

क्र. सं.	नाम	पद एवं विभाग / ग्राम / रहवासीय स्थान का पता	हस्ताक्षर
60.	ओमप्रकाश	सिरमण्डी	ओमप्रकाश
61.	कुम्भाराम	श्रीमण्डी	कुम्भाराम
62	मदनलाल	श्रीरामनगर	madanll
63	Gaलाराम	श्री राम नगर	Gaलाराम
64	राजूराम	श्री राम नगर	राजूराम
65	श्रीराम जी	सिरमण्डी	श्रीराम
66	जुगाराम गोदारा	श्रीरामनगर	जुगाराम
67	डूंगरराम	चण्डीमियां	डूंगरराम
68	Mohanlal	Sirmandi	[illegible]
69	मांगीलाल	सिरमण्डी	[illegible]
70	भेराराम	"	[illegible]
71	रमेशकुमार	सिरमण्डी	रमेशकुमार
72	राकेश	सिरमंडी	[illegible]
73	शिव लाल	सिरमण्डी	[illegible]
74	मोहनलाल	चैराई माधोदवनगर	मोहनलाल
75	चेतराम	भाग्यनगर मोहनगर	चेतराम

M/s. NHAI Package 6, Lot 4, PH on 29/01/2019 at 11:00 PM

क.सं.	नाम	पद एवं विभाग/ग्राम/रहवासीय स्थान का पता	हस्ताक्षर
७६	दुर्गाराम	मोतीराम नगर	दुर्गाराम
७७	खुशालचंद	ओसियाँ	खुशालचंद
७८	घासूराम		

2० [illegible] (2)

BM-7

राजस्थान पत्रिका . जोधपुर, शनिवार, 22 दिसंबर 2018

पत्रिका राजस्थान

[illegible]
(RAS) आयुक्त,
जोधपुर नगर निगम

www.tenderwizard.com/AIIMSBBSR और संपूर्ण
www.eprocure.gov.in पर देखें और डाउनलोड किए जा सकते हैं।

अधिशासी अभियंता
एस. भवन

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
स्पेशल-2, एम.एल.ए. प्रथम चरण, बासनी, जोधपुर
दूरभाष नं. 0291-2723225, ई-मेल rojpcbjodhpur@gmail.com

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible] 14.09.2006 [illegible] 30 दिवस [illegible]
4. [illegible]
(I) जिला कलेक्टर, जोधपुर।
(II) [illegible]
(III) [illegible]
(IV) [illegible]
(V) [illegible]
(VI) [illegible]
(VII) जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर।
(VIII) [illegible]

[illegible] 20.12.2018 [illegible] 29.01.2019 [illegible] 11.00 बजे [illegible]

क्षेत्रीय अधिकारी

[illegible] राजस्थान राज्य [illegible]

ई-निविदा सूचना संख्या 03/2018-19 दिनांक 20.12.2018

[illegible]

विवरण	
1. अनुमानित लागत	1. [illegible]
2. निविदा दस्तावेज प्राप्त करने की तिथि एवं समय	2. 250.00 [illegible]
3. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	3. दिनांक 20.12.2018 [illegible]
4. [illegible]	4. दि. 10.01.2019 [illegible]
5. [illegible]	5. दि. 10.01.2019 [illegible]

क्र.	विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	जमा कराने की दिनांक	देय
1	निविदा शुल्क	2000/- रुपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक	दिनांक 10.01.2019	[illegible]
2	धरोहर राशि	[illegible] 5,00,000/-	डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक	[illegible]	[illegible]
3	ई-टेंडरिंग प्रोसेसिंग शुल्क	1000/- रुपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक		Managing Director [illegible]

[illegible] 10.01.2019 [illegible]

UBN [illegible]

कार्यालय नगरपालिका पोकरण जिला जैसलमेर राजस्थान (3[illegible]
क्रमांक: नपापो/18/3857 दिनांक : 20.[illegible]

ई निविदा सूचना 2018-19

नगरपालिका पोकरण की ओर से नगरपालिका पोकरण एवं अन्य [illegible] विभागों में नियमानुसार A, AA श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्र[illegible] प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से सिविल कार्यों हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की [illegible] समस्त कार्यों के लिए धरोहर राशि कार्य की अनुमानित लागत पर नग[illegible] पंजीकृत में पंजीकृत सक्षम संवेदकों द्वारा 1/2 प्रतिशत राशि एवं अन्य वि[illegible] पंजीकृत सक्षम संवेदको द्वारा 2 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर चैक [illegible] अधिशासी नगरपालिका पोकरण एवं टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क M.D. Risl, [illegible] के नाम से देना होगा। निविदा शर्तें आदि सम्पूर्ण विवरण [illegible] http://eproc.rajasthan.in व http://sppp.rajasthan.gov.in [illegible] जा सकता है।

UBN NO DLB1819A5765
DLB 1819A5766

(आनन्दीलाल गुचिया)
अध्यक्ष
नगरपालिका, पोकरण

(जोधाराम विश्न[illegible])
अधिशाषी अधिका[illegible]
नगर पालिका, पोकर[illegible]

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
स्पेशल-2, एम.एल.ए. प्रथम चरण, बासनी, जोधपुर
दूरभाष नं. 0291-2723225, ई-मेल rorpcb.jodhpur@gmail.com

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. [illegible]
2. और चूंकि "मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, [illegible] जोधपुर" ने [illegible] की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया है।
3. और चूंकि [illegible] 14.09.2006 [illegible] 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
4. [illegible]
(I) जिला कलेक्टर, जोधपुर।
(II) [illegible]
(III) [illegible]
(IV) [illegible]
(V) [illegible]
(VI) [illegible]
(VII) जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर।
(VIII) [illegible]

[illegible] जोधपुर [illegible] 20.12.2018 [illegible] 28.01.2019 [illegible] 11.30 [illegible]

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय अधीक्षक, राजकीय शिशु गृह, बाल अधिकारिता वि[illegible]
गांधी नगर, जयपुर, फोन नं. 0141-2706480

क्र. सं.	संस्था द्वारा दिया गया नाम	लिंग	आयु	प्राप्ति का स्थान	[illegible]
1	अमृत 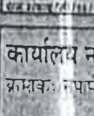	M	05 माह लगभग	पुलिस थाना [illegible] जयपुर	[illegible]
2	चन्दन 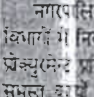	M	04 माह लगभग	पुलिस थाना [illegible] जयपुर	[illegible]
3	पवन	M	04 माह लगभग	[illegible]	[illegible]

PROVISION OF REGIMENTAL SHOP ON CONTRACTUAL BASIS AT MILITARY HOSPITAL JODHPUR

1. The Commandant Military Hospital, Jodhpur invites application from persons mentioned in para 2(a) to (d) below for [illegible]

BM-7

संलग्न पृ -2

Kerala church row: Police take into custody Orthodox priest

Kothamangalam (Kerala): As tension prevailed, the stand-off between the warring Orthodox and Jacobite factions over control of the Kothamangalam Mar Thoma Cheriya Palli Church, entered its second day.

The police forcefully on Friday took into custody Orthodox priest Father Thomas Paul Ramban, who armed with a High Court order, waited outside the church since Thursday to gain entry into the church.

The Ramban told the media that the police, while taking him into custody, informed him that the Ernakulam district collector has issued the order for his arrest.

"Today when I said I want to relieve myself, I was taken to the toilet ... when I cam[e] ... that they ... custody as ... have made ... unless I ... [n]ot cooperate with the doc... have with me the orders ... the court that has allowed ... pray at the church," said [the R]amban from a hospital here. IANS

7 labourers crushed to death

Dehradun: Seven labou[rers] were killed in a rockfall on Rudraprayag-Gaurikund highway on Friday.

Three persons were [i]njured in the mishap.

All the labourers [were] from Jammu & Kashmir.

Huge boulders came tu[m]bling down from the hill a[nd] crushed the labourers wo[rk]ing on a road project, said [an] official.

There were 23 labour[ers] working at the time of the [in]cident. Thirteen managed [to] run to safety while seven we[re] killed and three were critic[al]ly injured. The district mag[is]trate has ordered a magi[st]erial probe into the incide[nt] and officials said action h[as] been initiated against the co[n]tractor for not taking ad[e]quate precautions while u[n]dertaking the work. IANS

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

सेक्टर-2, एम.एल.ए. प्रथम चरण, बासनी, जोधपुर

दूरभाष नं. 0291-2723225, ई-मेल: rorpcb.jodhpur@gmail.com

क्रमांक: [illegible] (पैकेज 2, लॉट 4)/ दिनांक

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. [illegible] ... जोधपुर ने ... (पैकेज 2, लॉट 4) ... [illegible] ... के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चूंकि ... जोधपुर ने मण्डल को परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन किया है।
3. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचना के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
4. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है-
   I. जिला कलेक्टर, जोधपुर। II. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, सेक्टर-2, मण्डल औद्योगिक क्षेत्र, फेस प्रथम, बासनी, जोधपुर। III. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल मुख्यालय 4, पर्यावरण मार्ग, झालाना डूंगरी, संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। IV. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। V. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) VI. उपखंड अधिकारी ... जोधपुर। VII. जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर। VIII. सरपंच, ... जिला-जोधपुर।

अतः समस्त संबंधित को माननीय जिला कलक्टर जोधपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक 5044 दिनांक 20.12.2018 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित लोक सुनवाई हेतु दिनांक 28.01.2019 को प्रातः 11.30 बजे ... जिला जोधपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही किसी भी संबंधित व्यक्ति द्वारा लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, से. सेक्टर-2, मण्डल औद्योगिक क्षेत्र, फेस-प्रथम, बासनी, जोधपुर में दिये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

सेक्टर-2, एम.एल.ए. प्रथम चरण, बासनी, जोधपुर

दूरभाष नं. 0291-2723225, ई-मेल: rorpcb.jodhpur@gmail.com

क्रमांक: [illegible] (पैकेज 6, लॉट 4)/ दिनांक

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. [illegible] ... जोधपुर ने ... (पैकेज 6, लॉट 4) ... [illegible] ... के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चूंकि ... जोधपुर ने मण्डल को परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन किया है।
3. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचना के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
4. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है-
   I. जिला कलेक्टर, जोधपुर। II. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, सेक्टर-2, मण्डल औद्योगिक क्षेत्र, फेस प्रथम, बासनी, जोधपुर। III. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल मुख्यालय 4, पर्यावरण मार्ग, झालाना डूंगरी, संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। IV. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। V. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) VI. उपखंड अधिकारी ओसियां, जोधपुर। VII. जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर। VIII. सरपंच, ग्राम-भिकमकोर, तहसील-ओसियां, जिला-जोधपुर।

अतः समस्त संबंधित को माननीय जिला कलक्टर जोधपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक 5049 दिनांक 20.12.2018 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित लोक सुनवाई हेतु दिनांक 29.01.2019 को प्रातः 11.00 बजे ... भिकमकोर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही किसी भी संबंधित व्यक्ति द्वारा लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, से. सेक्टर-2, मण्डल औद्योगिक क्षेत्र, फेस-प्रथम, बासनी, जोधपुर में दिये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

[Recruit]ment Board
[Muzaff]arpur-842001
Website: ... e-mail: rrbmfp-bih@nic.in

[N]OTICE
[Te]chnicians)

Revised [Date of Computer Based] Test (CBT) 1st Stage

Revised [Co]mputer Based Test (CBT) co[mmenced from] 04.09.2018 for the posts of [va]rious Categories of Technici[ans has] been published on 20.12.20[18 by the] board of RRB / Muzaffar[pur. Computer] Based Test (CBT) is schedule[d from 0]9 to 23.01.2019.

This res[ult is available on offic]ial website of RRB / Muzaffar[pur : www.rrbmuzaffarpu]r.gov.in

No.- RRE ... CHAIRMAN

Date : 21 ... RRB/Muzaffarpur

Make in India Ser[ies] NORTH
TIMES inter[act]
CONSUMER CONNECT INITIATIVE

Photos of Public Hearing – Jodhpur